

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) का कार्यालय
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा ।

अति- अल्प कालीन पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 07/2026-27
(केवल -ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
(प्रतिशत दर निविदा)
दरभंगा, दिनांक:- 30.6.26

पत्रांक:- 713
1-कार्य की विवरणी

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रुपये में)	बेल्ड्रॉन कोदेय प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यार्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ANNUAL REPAIR, MAINTENANCE AND ONE TIMES PAINTING OF 09 NOS. BAGHELA WEIR GATES (05 NOS. SPILLWAY GATES SIZE -5600mm X 2550mm & 02 NOS. U/S GATES SIZE-2710 mm X 3550 mm) AND 02 NOS. HEAD REGULATOR GATES (RHR & LHR) SIZE-3700 mm X 650 mm WITH THEIR HOISTING SYSTEM AND ITS ALLIED COMPONENTS FOR THREE YEARS AT BAGHELA WEIR UNDER IRRIGATION MECHANICAL DIVISION, DARBHANGA.	86.16123	172400.00	10000.00	5900.00	03 साल

- विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :- दिनांक 29.06.2026
- निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि :- दिनांक 11.07.2026 से 16.07.2025 के अपराहण 3.00 बजे तक।
(www.eproc2.bihar.gov.in)
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 18.07.2026 को समय 3.30 बजे अप0 तक
(www.eproc2.bihar.gov.in)
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड की स्वीकृति के बाद अलग से सूचना दी जायेगी।
(www.eproc2.bihar.gov.in)
- निविदा खोलने का स्थान :- (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
- निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता (याँ0), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा ।
- ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को विभाग में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
- ई-निविदा मात्र (www.eproc2.bihar.gov.in) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

Mgha
30.06.26

(ई0 मृत्युंजय कुमार झा)
कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल दरभंगा
मो0न0- 7463889708


निविदा के नियम एवं भातर्त

- 1(क) e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु वीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online mode (e-payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- (ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा। Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical mode/ Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो विड के मान्य अवधि ((120 दिन + 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, (यॉत्रिक) सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा), विभागीय पत्रांक 88 दिनांक 29.01.2024 एवं विभागीय पत्रांक 804 दिनांक 19.10.2023 लागू होगा।
- (ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
- (घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".
- (ड) e-proc2 Portal पर निविदा हेतु विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 752 दिनांक 21.08.2020 एवं पत्रांक 1045 दिनांक 09.06.2026 द्वारा निर्गत संकल्प सह ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।
- (च) **क्रमांक 01 के कार्य के लिए (अन्य भातर्त के अतिरिक्त)**
- निविदादाता को जल संसाधन विभाग, बिहार, में समूचित श्रेणी के तहत निबंधित हो तथा अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - निविदित कार्य के समरूप न्यूनतम एक कार्य जिसका न्यूनतम प्राक्कलित राशि निविदित कार्य के प्राक्कलित राशि का दस प्रतिशत हो, का क्रियान्वयन किया गया हो, का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (छ) ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
- ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
 - संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 - किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 - संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर भीघ्न खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 - संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
 - इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु वीड को अपलोड कर लें।
8. **तकनीकी वीड का मूल्यांकन निम्न मापदण्ड के अनुरूप किया जायेगा।**
- निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को जल संसाधन विभाग, बिहार, में समूचित श्रेणी के तहत निबंधित हो तथा अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - निविदा सूचना में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में समुचित रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

- (c) निविदादाता द्वारा उद्योग आधार अथवा उद्यम (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)/ S.S.I. का निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (d) निविदादाता को फ़ैक्ट्री लाईसेंस जो निविदादाता के नाम से निर्गत हो, को संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (e) निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत मान्य(वैध) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. निम्न आशय का भाष्य पत्र (Affidavit निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) जमा करना अनिवार्य होगा। जो इस प्रकार है—:
- (a) यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar/Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
- (b) "I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing".
10. पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) की अधिसूचना संख्या 449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage rate Tender), पद्धति में प्राप्त किये जाने वाली सभी प्रकार की निविदा दर कि न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र कि दर से कम उद्धरित दर वाले निविदा के लिये (Additional Performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है, के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
11. निविदादाता को पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेन्डम ऑफ ऐसोशियेशन/ पॉवर ऑफ एटर्नी/ ऑथरीटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकतानुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
12. निविदा का न्यूनतम दर विभागीय पत्रांक 1/PMC/ न्यायालय -01/2022-536 दिनांक 18.07.2023 के अन्तर्गत होगा।
13. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।
14. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. कार्य का एकरारनामा एफ 2 (कंडिका 23 विलोपित) पर किया जायेगा।
16. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लेंगे।
17. सभी लौह सामग्रीयों ख्याति प्राप्त निर्माता (यथा सेल/टाटा/जिंदल) एवं सभी विद्युतीय उपकरण यथा (Schneider/Havells) इत्यादि कम्पनी/प्राधिकृत विक्रेता से क्रय कर उपयोग करना होगा। क्रय से संबंधित विपत्र अधोहस्तक्षारी को समर्पित करना होगा।
18. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा घट बढ़ सकती है अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रघन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।
19. निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य का भुगतान संभव होगा।
20. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा।
21. कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रीयों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था की दायित्व संवेदक का होगा, एवं कार्य करने के पश्चात् पुराने लौह सामग्रीयों को प्रमंडलीय कार्यालय परिसर में अपने व्यय पर ढुलाई के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विपत्र से नियमानुसार पैनल दर कटौती कर ली जायेगी।
22. जी0 एस0 टी0 एवं आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
23. श्रमिक कल्याण निधि मद में 1% (एक प्रतिशत) की दर की कटौती की जायेगी।
24. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक के लिए Defect Liability के अन्दर होगा। पुरे सिंचाई अवधि/बाढ़ अवधि में किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मत कर पुनः क्रियाशील करना अनिवार्य होगा।
25. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पुरा करने से सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल (Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा) समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा आवंटित कार्य रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
26. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को जी0 एस0 टी0 में निबंधन होना आवश्यक है एवं तत्सम्बन्धी निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
27. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर पर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण के संहिता के नियम-163 के प्रावधान के आलोक में लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

W

28. सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के उपरान्त एकरारनामा के समय स्वीकृत राशि का 3% (तीन प्रतिशत) जमानत की राशि के रूप में क्रमांक-1 (ख) के अनुरूप विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो, जमा करना होगा। इस प्रकार जमानत की राशि एकरारनामा के समय $2\% + 3\% = 5\%$ देय होगी। शेष 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि जमानत के रूप में विपत्र से काट ली जायेगी। जमानत की राशि कार्य पूर्ण होने एवं सभी पहलुओं की जाँच करने के उपरान्त वापस की जायेगी।
29. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।
30. निविदाकार द्वारा दी गयी सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
31. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के पत्रांक 4418 दिनांक 19.10.2024 के आलोक में संवेदको द्वारा व्यवहृत खनिज का परिवहन ई-चालान/परमिट समर्पित करना अनिवार्य होगा। परमिट समर्पित नहीं करने अथवा अवैध/फर्जी चालान पाये जाने की स्थिति में खनिज मूल्य के रूप में व्यवहृत खनिज के स्वामित्व का 25 गुणा राशि विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
35. जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक 201 दिनांक 28.02.2025 लागू होगा।
36. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
37. विभागीय आदेश संख्या - 1/ PMC / विविध / 879 / 2024-पार्ट-III-201 पटना दिनांक 28.02.2025 के आलोक में परिवाद का निष्पादन किया जाएगा।
38. विभागीय ज्ञापांक 1964 दिनांक 09.05.2025 के आलोक में जल संसाधन विभागान्तर्गत संवेदकों द्वारा Offline माध्यम से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
39. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-686 दिनांक-19.08.2014 पत्रांक-197, 200, 201, 202 दिनांक 14.03.16 एवं पत्रांक 274 दिनांक 18.04.16 एवं पत्रांक 704 दिनांक 03.08.2018 में दिये गये भातों का एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
40. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3162(S) दिनांक 09.05.2016 एवं पत्रांक 2863(E) दिनांक 07.06.2017 अनुमान्य होगा।
41. निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का अनुभव के साथ-साथ विगत पाच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा के समान कार्य का का प्रमाण पत्र निविदा के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण निविदा अभिलेख में सलग्न होगा।


(ई० मृत्सुंजय कुमार झा)
कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा ।
मो०न०- 7463889708